>

Title: Need to ensure timely payment of insurance amount to farmers of Bikaner under Crop Insurance Scheme.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि उपभोक्ता मामलात् एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन के माध्यम से सरकार एक मौसम आधारित बीमा योजना संचालित करती है, लेकिन सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक एवं अन्य बैंकों के माध्यम से किसान का प्रीमियम जमा हो जाता है, लेकिन फिजिकल वैरीफिकेशन की प्रक्रिया एवं कुछ अन्य प्रक्रियाओं के कारण उसका पैसा किसानों को समय पर नहीं मिलता है, इससे इस योजना के प्रति किसानों में रोष उत्पन्न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप पिछले सात-आठ सालों, जब से यह योजना चल रही है, इसका सर्वे कर लीजिए, दस प्रतिशत से ज्यादा फेक एंड फाल्स केसेज किसानों के नहीं आते हैं। जब किसानों के 90 प्रतिशत केसेज सही आते हैं तो जैसे ही सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक या अन्य किसी बैंक के माध्यम से प्रीमियम जमा हो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन में, उनको तत्काल ही मौसम आधारित फसल बीमा का पैसा दे दिया जाए, उसके लिए फिजिकल वैरीफिकेशन की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। यह मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी मेरी जानकारी में आया है कि मैं जिस बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां साल भर से किसी को पैसा ही नहीं मिला है। यह योजना, जो बहुत अच्छी है, इसका लाभ किसानों को प्रीमियम जमा होते ही मिल जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन के आधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि प्रीमियम जमा होते ही किसानों को पैसा दे दिया जाए और अगर कोई केस गलत पाया जाता है, तो जब अगले साल उसका क्लेम आए, तो उसमें से काट लिया जाए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।